

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2019/ 3182 जयपुर,दिनांक 29.09.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-करोली।

विषय:- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र०स०	सर्व श्री/श्रीमति / सुश्री	कहाँ से (ग्राम.प./पं०स०)	कहाँ को(ग्राम पं./पं०स०)
1	मोहन सिंह जाट	ग्रा.प. मण्डावरा,प.स. हिण्डौन, जिला करोली	पं०स० हिण्डौन की अन्य ग्राम पंचायत में

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय /अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक,माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
- निजी सचिव,शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायती राज विभाग ।
- ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत ।
- गार्ड फाईल ।

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त